भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2160**

(जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019/11 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है)

**गैर-शहरी स्थानों में एटीएम को बंद किया जाना**

2160. श्रीमती वानसुक साइमः

श्री सी॰ एम॰ रमेशः

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूरे देश में कितने एटीएम संस्थापित किये गए हैं और क्या हाल के विनियामक दिशानिर्देशों के कारण गैर-शहरी स्थानों में काफी बड़ी संख्या में एटीएम ऑपरेशन की अनुपलब्‍धता के कारण बंद हो सकते हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एटीएम सेवा प्रदाताओं द्वारा कथित रूप से मार्च, 2019 तक कुल एटीएम में से लगभग आधे एटीएम को बंद किए जाने की धमकी दी गई है क्योंकि उनके पास अतिरिक्त लागत के भार को सहने के लिए वित्तीय साधन नहीं हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या संभावित स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा कोई आकस्मिक योजना बनाई गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)

**(क) से (ग) :** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सूचित किए गए अनुसार दिनांक 30.09.2018 की स्थिति के अनुसार देश में 2.21 लाख एटीएम स्‍थापित किए गए है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जबकि अपने एटीएम बंद करने की उनकी कोई योजना नहीं है, उन्होंने नियंत्रण और जोखिम कम करने के विभिन्न उपायों पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक कदम उठाने भी प्रारंभ कर दिए हैं।

\*\*\*\*\*